



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 15 राँची, बुधवार 3 ज्येष्ठ, 1942 (श०)
24 जून, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 100- 106

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग****अधिसूचना****1 मई, 2020**

संख्या-1/पी0-104/2006 पार्ट-I का.-2241-- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-36/01/2020-EO(SM-I), दिनांक 26.04.2020 के आलोक में सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (झा:1987) को पदभार त्याग करने की तिथि से Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर योगदान करने हेतु विरमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**अधिसूचना****12 मई, 2020**

संख्या- 03/से0वि0-04-09/2014 का. 2291-- श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 574/03), तत्कालीन अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 18.05.2003 से 26.05.2003 एवं दिनांक 01.09.2008 से 04.09.2008 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
12 मई, 2020

संख्या- 03/नि0सं0-09-41/2014 का. 2292-- श्री जय ज्योति सामंता, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 831/03), अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 20.09.2019 से दिनांक 29.10.2019 (कुल 40 दिनों का) तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
13 मई, 2020

संख्या- 4/नि0सं0-12-316/2014 का. 2408-- श्री बिपिन कुमार दूबे, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला- गढ़वा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को दिनांक 20.12.2018 से 18.02.2019 तक उपभोग किये गये अवकाश को निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक 22.01.2019 से 27.01.2019 तक :- उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।
- (ii) दिनांक 08.02.2019 को } असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 सह-पठित नियम 236 के तहत ।
- (iii) दिनांक 18.02.2019 को }

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना**19 मई, 2020**

संख्या-03/नि0सं0-09-10/2014 का. 2479/स्व0-- प्रकाश बिरसा लकड़ा, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-874/03), तत्कालीन संयुक्त निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची द्वारा चिकित्सा कारणों से दिनांक 09.05.2018 से 26.01.2019 तक (कुल 263 दिन) कर्तव्य से अनुपस्थिति अवधि के लिए निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) दि0 09.05.2018 से 18.12.2018 तक - (कुल 224 दिन) - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश ।
- (ii) दि0 19.12.2018 से 26.01.2019 तक - (कुल 39 दिन) - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत अर्द्धवैतनिक अवकाश ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2020 ई०।

संख्या-13/पी1-209/2003 (खण्ड)- 1553/सी०,-- श्री पी०आर०के० नायडू, भा०पु०से० (1987), अध्यक्ष, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची) अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2020 ई०।

संख्या-13/पी०-8003/2013- 1596 /सी०,-- श्री अनूप लाल भगत, समादेष्टा, बी०एस०एफ०, सम्प्रति पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को झारखण्ड राज्य में योगदान की तिथि से प्रतिनियुक्ति स्वीकृत करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, आई०आर०बी०-5, कैंप राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी०-8003/2013- 1597 /सी०,-- श्री संजय मुकूल किस्पोद्वा, समादेष्टा, बी०एस०एफ०, सम्प्रति पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को झारखण्ड राज्य में योगदान की तिथि से प्रतिनियुक्ति स्वीकृत करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 मई, 2020 ई०।

संख्या-12/एम2-140/2012- 1822-- श्री ब्रजेश कुमार यादव, उप-समादेष्टा-सह-एसॉल्ट ग्रुप कमाण्डर, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची की सेवा अधिसूचना निर्गत की तिथि से अपने पैतृक संगठन बी०एस०एफ० में योगदान देने हेतु वापस की जाती है।

संख्या-12/एम2-140/2012- 1823-- श्री सरोज कुमार, उप-समादेष्टा-सह-अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), राँची को अधिसूचना निर्गत की तिथि से अपने पैतृक संगठन सी०आर०पी०एफ० में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

संख्या-12/एम2-140/2012- 1824-- श्री सदन कुमार, उप-समादेष्टा-सह-अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), गढ़वा को दिनांक 14.06.2020 के प्रभाव से अपने पैतृक संगठन सी०आर०पी०एफ० में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

10 जून, 2020 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-124/2019- 2003 -- श्रीमती निधि द्विवेदी, भा०पु०से०, समादेष्टा, झा०स०पु०-06, जमशेदपुर को The All India Services (Leave) Rules, 1955 के नियम-18 (1) के आलोक में दिनांक-01.06.2020 से 27.11.2020 तक 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 मई, 2020 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-105/2020- 1814 -- श्री के०एन० चौबे, भा०पु०से०, पुलिस महानिदेशक-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, पुलिस आधुनिकीकरण, कैम्प-नई दिल्ली को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक- 19.03.2020 से 21.03.2020 तक कुल-03 (तीन) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त अवधि के लिए श्री चौबे, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

8 जून, 2020 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-134/2019- 1976 -- श्री पी०आर०के० नायडू, भा०पु०से०, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हॉउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं पुलिस महानिदेशक (मु०), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1715, दिनांक 12.05.2020 द्वारा स्वीकृत दिनांक 08.05.2020 से 10.05.2020 तक कुल-03 (तीन) दिनों के उपार्जित अवकाश को रद्द करते हुए श्री नायडू, भा०पु०से० को दिनांक 15.05.2020 से 17.05.2020 तक कुल-03 (तीन) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त अवधि के लिए श्री नायडू, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (साधारण) 15 -- 50 ।